



2026:AHC:36224

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-1720/2026

सरोज शर्मा

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: नंद लाल पांडे, सुयश पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुयश पांडे और राज्य-प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।

2. इस न्यायालय ने 05.02.2026 को इस याचिका पर विचार किया और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और उसके बाद मामला आज के लिए तय कर दिया गया, निर्देश विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार द्वारा दिए गए हैं, प्रस्तुत करता है कि वह निर्देशों से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और निर्देश रिट याचिका के निपटान के लिए आत्मनिर्भर हैं और वह कोई और शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है और याचिका दायर की जाएगी अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, इस प्रकार पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में निर्णय लिया जा रहा है।

3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार की विधवा होने का दावा करती है, जो वर्ष 2011 में उप-निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद 30.05.2023 को उनकी मृत्यु हो गई, रिट याचिकाकर्ता ने हालांकि विधवा होने का दावा किया है, लेकिन आरोप लगाया है कि बीना शर्मा @ बीना कौशिक ने मृतक की पत्नी होने का दावा किया है, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, जांच की गई जिसके अनुसार यह पाया गया कि रिट याचिकाकर्ता विधिक रूप से विवाहित पत्नी हैं। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 21.11.1025 को सहारनपुर के वरिष्ठ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुलिस अधीक्षक ने रिट याचिकाकर्ता को कुछ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए एक पत्र जारी किया है।

4. इस पर प्रश्न उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

5. आदेश पारित होने के बाद, आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के हस्ताक्षर के अंतर्गत दिनांक 16.02.2026 के निर्देश भेजे गए हैं, जिन्हें अभिलेख में लिया गया है और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार की जांच में पहले ही, रिट याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी पाई गई, इसलिए हाई स्कूल प्रमाणपत्र के साथ-साथ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क किया है कि रिट याचिकाकर्ता को 21.11.2025 को जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जो रिट याचिका ने प्रस्तुत नहीं किए थे और यदि कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं यदि रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने हैं तो रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर जोर देना चाहिए।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय की राय में 21.11.2025 को एक बार, रिट याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और यदि रिट याचिकाकर्ता उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो रिट याचिकाकर्ता को वे दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए जो उन दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखना तथा प्रस्तुत करने से छूट मांगना, जो रिट याचिकाकर्ता के पास नहीं हैं। उत्तरदाताओं को एक तर्कपूर्ण और बोलता हुआ आदेश पारित करना होगा, विशेष रूप से, इस न्यायालय को निर्णय देने वाले प्राधिकारी के मस्तिष्क में जाने की आवश्यकता नहीं है तथा विधि के अनुसार सख्ती से आदेश पारित कर निर्णय देने वाले प्राधिकारी का काम है।

9. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त अभ्यास आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से आयोजित किया गया था प्रभावित पक्षों की सुनवाई, यदि कोई हो।

10. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

आशु

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”